

विचार बिन्दु

लोहा गरम भले ही हो जाए पर हथौड़ा तो ठंडा रह कर ही काम कर सकता है। –सरदार पटेल

वोट देने का महत्व और उसका अधिकार

बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा का कार्य जिसे SIR (एसआईआर) द्वारा सम्बोधित किया जाता है, चल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष को लाभान्वित करने के हेतु मिली-भगत कर मतदाता सूची में गड़बड़ी कर रहा है। मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, उन्हें मुक्त बताया जा रहा है आदि। इस कार्य को विपक्ष वोटों की चोरी कह रहा है और एक व्यक्ति एक वोट के नारे लगा रहा है और शालीनता की सर्वादा को लोभ कर आ-आन्दोलन द्वारा संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित कर रहा है। जबकि SIR (एसआईआर) मतदाता सूची की शुद्धता की ओर बढ़ाया गया कदम है। प्रश्न है लोकतंत्र में विपक्ष का यह आंदोलन जहां संसद को काम नहीं करने दिया जावे और वहां हंगामा हो सड़कों पर हंगामा और अब यह आंदोलन संविधान बचाओ यात्रा में बदल गया है। ‘चुनाव आयोग चोर है’, जैसे शब्द शालीनता व सभ्यता की सीमा को तो लांघते ही हैं अगिपु भडकाऊ होने से अराजकता और अशान्ति फैलाते हैं और देश की अखण्डता के लिये भी घातक है। राहुल इस आन्दोलन में प्रमुख प्रवक्ता हैं और तेजस्वी भी अपनी तेजस्वी बोली में कह रहे हैं ‘भाजपा वोट चोरी नहीं, आयोग के साथ मिलकर डकैती करने लगी है।’ विपक्ष का आरोप है कि भाजपा संविधान मिटाने की कोशिश में है और उनकी लड़ाई संविधान बचाने की है। आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में वोटर नहीं है तो शिक्षापत्र करना चाहता है तो वह वषथ पत्र द्वारा ही ऐसा कर सकता है।

प्रश्न है वोटर कौन हो सकता है, वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त है और अधिकार का उद्गम कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 326 में स्पष्ट प्रावधान है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन वयस्क मतार्थिकर के आधार पर हाग अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो किसी विधि के अधीन अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के कारण अन्यथा निरहिंत नहीं कर दिया गया है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का अधिकारी होगा। संविधान का संदेश स्पष्ट है कि मतदाता देश का नागरिक होना चाहिये और उसका नाम इसी आधार पर मतदाता सूची में होना चाहिये।

अनुच्छेद 327 इसे और भी अधिक स्पष्ट करता है कि संविधान के उपबंधों के अधीन ही निर्वाचक नामावली तैयार की जावेगी। अनुच्छेद 328 में और अधिक स्पष्टता दिखाई देती है जहां वह निर्देश देता है कि संसद ऐसे मामलों में जो कानून बनायेगा वह भी उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप ही होगा तथा ऐसा कानून जो अनुच्छेद 327 व 328 के तहत बनाया उसकी वैधता को देश के न्यायालय में व चुनाव नामावली के विषय को चुनौती भी नहीं दी जावेगी। इस सब उपबन्धों को पढ़ेंगे तो एक ही आवाज उठती सुनी जावेगी कि मतदाता सूची केवल नागरिकों के मतदान के हेतु बनाई जावेगी। किसी अवैध प्रवासी (Migrant) को नामावली में शामिल नहीं किया जावेगा।

मतावलुी शुद्धिकरण के काम में लगे अधिकारियों के समक्ष यह आपत्ति उठाई गई कि तथाकथित कुछ व्यक्तियों ने अपना नामत मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के तथा अन्य अभिप्राय से अवैध राशनकार्ड तथा आधार कार्ड बनाये है। आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण का सबूत किसी भी न्यायालय ने नहीं माना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना ही आदेश में कहा है कि अन्य 11 डोक्यूमेंट्स के साथ मतदाता द्वारा पेश किये गये आधार कार्ड को भी इस हेतु देखा जावे, यह नहीं कहा कि नागरिकता के सबूत के रूप में इसे मान्यता दी जावे।

बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के प्रश्न पर जब भी विचार करेंगे तो मूल महत्वपूर्ण विषय होगा यह तो देश नागरिकों के संवैधानिक अधिकार का प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने व निर्देश आदि देने की जो शक्ति दी गई है उसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट जब करती है तब संविधान के भाग 3 में दिये गये मूल अधिकारों का रत्न हो रहा हो और उन्हें प्रवर्तित किया जाना आवश्यक हो यानी रिट याचिका भाग 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने का उपचार है। किन्तु वोट देने का अधिकार तो भाग तीन में दिये गये मूल अधिकारों का नहीं है। यह अधिकार निश्चित रूप से संवैधानिक अधिकार है, भाग तीन का मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 स्वातंत्र का विषय है। अनुच्छेद 19(ई) का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का माना जावे तो यह अधिकार निश्चित रूप से नागरिकता का है, क्योंकि अनुच्छेद 19(1) स्वयं यह घोषणा करता है कि यह अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 32 की याचिका

एक व्यक्ति एक वोट व वोटों की चोरी के आरोपों ने देश का वातावरण बिगाड़ दिया है। कभी भी देश में कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। विपक्ष से नम्र निवेदन है, “हम उस देश के वासी हैं जहां गंगा बहती है” दूसरों पर अपशब्द बोलकर गम्भीर घाव नहीं करें। देश की एकता और अखण्डता रखना आपका संवैधानिक कर्तव्य है। सोचो, विचारो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देश हम सबका है।

पर की गई आपत्तियों पर समीक्षा नहीं करना उचित प्रक्रिया है। हमें निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिये। लेख का विषय सीमित है। नागरिक का मतदान का अधिकार और अधिकार का महत्वा। भारतीय संविधान के भाग तीन के अधिकांश मूल अधिकार केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त हैं। नागरिकों को ही वोट देने का संवैधानिक अधिकार है। सभी संवैधानिक पदों का अधिकारी चाहे वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राध्म म्निस्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, चुनाव आयोग, सांसद, विधायक आदि कोई भी हो तो केवल नागरिक ही धारण कर सकता है। बिहार की मतदाता सूची में बारलादेख, न्याय्मार के अवैध प्रवासी बिना अधिकार के देश के राज्यों में फैले हुये हैं और उन्होंने अवैध रूप से आधार कार्ड व राशनकार्ड प्राप्त किये हैं। मतदाता सूची के दूषित होने का प्रधान कारण यही है।

निर्वाचन सम्बन्धित विषयों पर चुनाव आयोग को अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण के सम्पूर्ण अधिकार है और प्रक्रिया के लिये संसद का जन प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1951 है। व्यवस्था है कि चुनावों में होने वाली अनियमितता और अवैधता को चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जीतने वाले व्यक्ति के विरुद्ध चुनाव याचिका हाईकोर्ट के समक्ष अवधि मध्य पेश कर चुनौती दी जा सकती है; किन्तु महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार के चुनावों में किसी भी राजनीतिक पार्टी अथवा उम्मीदवार ने ऐसी याचिकाओं पेश नहीं की हैं। इसका अभिप्राय है वे चुनाव के रिजल्ट से सजुनी है। अब जब बिहार में मतदाता सूची की शुद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है तो वहां के चुनावों में धांधली कर जीतने की बात विपक्ष कर रहा है, वे भूल जाते हैं कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार जो जीते हैं चाहे सांसद बने अथवा विधायक, वे भी उसी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। फिर कैसी चुनौती। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिनके नाम काटे गये हैं वे काटे जाने के विरोध में समक्ष अधिकारों के समक्ष आवेदन समयावधि में पेश करें। किसी ने अभी तक सम्भवतया प्रतिवेदन पेश नहीं किया गया है। बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम काटे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5.8.2025 के अन्तिम आदेश की अनुपालना में उनके विवरण प्रस्तुत किया जा चुके हैं, अभी भी वे लोग अपने अधिकार के लिये अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान का अनुच्छेद 51 क घोषित करता है भारत का नागरिक संवैधानिक संस्थाओं का आदर करेंगे। विपक्ष संविधान की पुस्तक लेकर आयोग पर मतों की चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। अब वे मुख्य चुनाव अधिकारी पर महाअभियोग चलाने की बात कर रहे हैं। इसकी प्रक्रिया वैसी है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की की जाती है। वर्तमान परिस्थितियों में इसकी सफलता दिखाई नहीं देती।

एक व्यक्ति एक वोट व वोटों की चोरी के आरोपों ने देश का वातावरण बिगाड़ दिया है। कभी भी देश में कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। विपक्ष से नम्र निवेदन है, “हम उस देश के वासी हैं जहां गंगा बहती है” दूसरों पर अपशब्द बोलकर गम्भीर घाव नहीं करें। देश की एकता और अखण्डता रखना आपका संवैधानिक कर्तव्य है। सोचो, विचारो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देश हम सबका है। देश के नागरिक की गरिमा बनाये रखना संविधान के प्रियम्वल से सीधै।

संवैधानिक संस्था को चोर व डकैत कहना और सड़कों पर नारों व पोस्टर से चोर प्रस्तुत करना प्रत्यक्ष मानहानि कारक हो सकता है, जो एक अपराध है। यों भी बिहार में SIR (एसआईआर) को चुनौती देने वाले कई तथाकथित मतदाता हैं जिन्होंने संभवतः चुनाव सम्बन्धित अपराध किये हैं, इन्हें यदि फौजदारी केस में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो उन्हें विधानसभा अथवा संसद की सदस्यता न डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। कृपया संविधान के अनुच्छेद 102/अनुच्छेद 191 तथा अनुच्छेद 90/190 को पढ़ो। ध्यान रहे, डिस्क्वालिफिकेशन (निरहता) की घोषणा मात्र से सदस्यता का पद स्वतः रिक्त हो जाता है। कृपया इस सम्बन्ध में लिली थॉमस बनाम यूनिनन ऑफ इण्डिया, 10 जुलाई 2013 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अध्ययन अवश्य करें।

सत्यमेव जयते !

–अतिथि सम्पादक,

पानाचन्द्र जैन

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

राशिफल
शुक्रवार 22 अगस्त, 2025
भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2082, आश्लेषा नक्षत्र रात्रि 12:17 तक, धारियान योगदिन 2:35 तक, शुक्लिन करण दिन 11:56 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 12:17 से सिंह राशि में संचार करेगा।
पंडित अनिल शर्मा
मंगल-कन्या, बुध-कर्क, गुरु-मिथुन, शुक्र-कर्क, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-सिंह राशि में।
आज पितृकार्या अमावस्या, पिठोरी अमावस्या, जैन व्रषमोत्सव, मन्वादि, जीवर्तिका पूजन है। आज से शरद ऋतु आरम्भ होगी। आज सयन कन्या से सूर्य रात्रि 2:04 पर प्रवेश करेगा।
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:41 तक, लाघ-अमृत 7:41 से 10:54 तक, शुभ 12:30 से 2:06 तक, चर 5:18 से सूर्यास्त तक।
राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:05, सूर्यास्त 6:54

सामाजिक सरोकार और परिवारों का मिलन कहां से चले हम! और कहां पहुंच गए? अंत क्या होगा पता नहीं!



सुनील दत्त गोयल

जीवन में अपने से जुड़े लोगों से मिलते-जुलते समय हमारा दिखावा करना या अत्याधिक अपने आप के व्यवहार में सम्पन्नता दिखाना – यह सब कुछ समय के लिए आपको धनी व सुखी ईसान होने का संकेत तो दे सकता है, लेकिन समय के साथ वास्तविकता को हम छुपा नहीं सकता। हम अपने आप को दिखावा और ढोंग के माध्यम से मानसिक तनाव के रूप में परेशानी महसूस करने लग जाते हैं।

दिखावे व बराबरी की होड़ हमें आर्थिक रूप से कमजोर ही बनाती है क्योंकि बराबरी करने के लिए हमें अपनी हैसियत व कमाई से अधिक खर्च करना पड़ता है। इससे हम कर्ज का बोझ अपने कंधों पर बेवजह उठाते हुए अपने जीवन को दुखी कर लेते हैं। जीवन में कभी भी औरों से अधिक धनवान दिखाने में सिवाय नुकसान के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अगर अपने को सुखी रखना है तो जो पास है उसमें संतोष व आनंद लेना चाहिए और यह भूल जाना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे।

क्योंकि अंत में व्यवस्था स्वयं की हो काम आती है। दिखावे से प्रभावित रिश्ते जीवन में कभी साथ नहीं देते। हमारे सांसारिक जीवन में मेल-जोल का अक्सर शादी-विवाह, सम्मेलन, घर में कुआं पुरान, पुत्र उत्सव या पुत्री उत्सव जैसे कार्यक्रमों में हुआ करता था। उन्हीं अवसरों पर सारे रिश्तेदार-नातेदारों से मुलाकात होती थी। लेकिन आजकल वह परंपरा भी खत्म होती जा रही है। अब तो

वहां भी चर्चा होती है कि कौन कितनी महंगी कार से आया है, कितने महंगे कपड़े पहन रखे हैं, कौन-सा मोबाइल फोन हाथ में है, कौन-सी परफ्यूम लगाई है, बच्चे किस बड़े स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कौन देश में है या विदेश में, कितना पैसेज ले रहा है।

हम यह भूल गए कि पहले तीन-चार भाई या पांच भाई परिवारों में रहते थे और जब इकट्ठे होते थे तो भाई-बंधु और परिवार के सदस्य साथ आते थे। चाचा-मामा और रिश्तेदारों के बीच अपनापन झलकता था। मुलाकात दिल से होती थी, न कि अपनी कमाई का दिखावा करने के लिए।

आजकल की शायदियों : पहले शायदियों मोहल्ले या धर्मशाला में होती थीं। मेहमान आसपास के घरों में ठहरते थे। सब साथ बैठकर पत्तल-दोने में भोजन करते थे। गहे-रजाई बिछा दिए जाते थे और साधारण व्यवस्था में भी अपनापन झलकता था। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। आजकल शायद्यों महंगे रिसॉर्ट्स और डेस्टिनेशन वेडिंग्स में होने लगी हैं। शादी से दो दिन पहले ही पूरा परिवार रिसॉर्ट में शिफ्ट हो जाता है और मेहमान सीधे वहीं पहुंचते हैं। जिसके पास चारपहिया वाहन है वही वहां तक पहुंच सकता है, दोपहिया वालों के लिए यह संभव नहीं।

अब निर्मांत्रण की वागुंसार बंट गए हैं –किसी को केवल लैडीज संगीत में बुलाना, किसी को सिर्फ रिसेप्शन में, किसी को कांफेटेल पार्टी में और परिवार को सभी कार्यक्रमों में। इस निर्मांत्रण में अपनापन की भावना खत्म हो चुकी है। सिर्फ मतलब के व्यक्तियों को या परिवारों को आमंत्रित किया जाता है। कई बार देखा गया है कि जो लोग बारात में शामिल होने के लिए आते हैं उन्हें दूल्हा-दुल्हन का नाम या शकल मालूम ही नहीं होती और भविष्य में कभी दूल्हा-दुल्हन मिल जाए तो उन्हें पहचानते भी नहीं हैं।

शायदियों का दिखावटीपन : –

महिला संगीत के लिए महंगे कोरियोग्राफर बुलाए जाते हैं। मेहंदी में सबको हरे कपड़े पहनने की अनिवार्यता होती है, हल्दी में पीले कुर्ते-पायजामे। जो न पहने, उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है।

इवेंट मैनेजमेंट वालों ने शादी की परंपरा को एक प्रदर्शनी में बदल दिया है। दूल्हा-दुल्हन पर से ध्यान हटकर सजावट, डांसर्स, परफॉर्मंस और दिखावे पर चला जाता है। 10-15 लोग आ रहे हैं अधनंगे कपड़ों में डांस करने, कोई झंडा उठा रहा है, कोई बैनर उठा रहा है, कोई टोपी पहन रहा है, कोई फूल उछाल रहा है, कोई पता नहीं वह गरीब विचित्रता के मानवता के सबूत पेश किए जाते हैं कि हाँ हम बहुत पैसे वाले हैं और हम इस खर्च का वहन कर सकते हैं। वह खुद भूल जाते हैं, लड़के और लड़की, वर और वधू पक्ष में दोनों लोग कि वह अपने बेटे-बेटे की शादी करने आए हैं और उनका भविष्य/जीवन जो है वह पूजा-पाठ के सहारे चलेगा, भगवान के सहारे चलेगा, इन इवेंट वालों के सहारे नहीं चलेगा। लेकिन उन दोनों पक्षकारों का पूरा ध्यान जो होता है वह इवेंट की बारियोंकां पर होता है कि उसने पैर कैसा रखना है, उसने हाथ कैसे रखना है, उसने कंधे पर क्या करना है, ऐसा किया कि नहीं किया, नहीं किया तो इवेंट वाले का पैसा काट दो

फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स 6-8 कैमरे लगाकर ऐसे-ऐसे एंगल से तस्वीरें खींचते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। सैकड़ों डेटा इकट्ठा होता है जिसे कोई देखने की जहमत तक नहीं उठाता। लेकिन खर्चा लाखों में हो जाता है। बारात प्रोसेशन में 5 से 10 हजार नाच-गाने पर उड़ा देते हैं। इसके बाद रिसेप्शन स्टार्ट होता है। स्टेज पर वरमाला अब फिल्मी स्टाइल में होती है। पहले लड़की और लड़के वाले मिलकर इसी-मजाक कदके वरमाला कवांते थे। आजकल स्टेज पर धुंफ की धूनी छोड़ देते हैं। दूल्हा-

राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थी विधानसभा में सीखेंगे राजनीति का गणित

विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग की अनूठी पहल



राजेश यादव

जयपुर। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थी अब राजस्थान विधानसभा में बैठकर राजनीति और

बहस करते हुए दिखाई देंगे। जीवन कौशल विकास हेतु संचालित प्रबल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेशभर में राजस्थान युवा सभा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाना है ताकि वे खुले मंच पर अपने विचार स्पष्ट रूप से रख सकें, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, विधानसभा जैसे गरिमामयी व्यवस्था में भाग लेकर विद्यार्थी लोकतांत्रिक मूल्यों को समझेंगे और वाद-विवाद व संवाद कौशल में निखार ला सकेंगे।

ब्लॉक और जिले से चयनित होंगे विद्यार्थी :– प्रबल कार्यक्रम की 14 थीम आधारित गतिविधियों

प्रबल कार्यक्रम की 14 थीम आधारित गतिविधियां अगस्त से सितंबर तक सभी विद्यालयों में संचालित होंगी, विद्यालय स्तर पर मेरिट के आधार पर एक छात्र व एक छात्रा का चयन होगा जो ब्लॉक स्तरीय गतिविधियों में भाग लेंगे

अगस्त से सितंबर तक सभी विद्यालयों में संचालित होंगी। विद्यालय स्तर पर मेरिट के आधार पर एक छात्र व एक छात्रा का चयन होगा जो ब्लॉक स्तरीय गतिविधियों में भाग लेंगे। ब्लॉक से चयनित विद्यार्थी जिला स्तर पर पहुंचेंगे और यहां से चयनित विद्यार्थी राज्य स्तरीय मौक विधानसभा – राजस्थान युवा सभा में हिस्सा लेंगे।

चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता :–चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता

सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर पांच सदस्यीय चयन समिति का गठन होगा। विद्यालय, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों को भी समिति में शामिल किया जाएगा। इसके लिए विद्यालय स्तर पर बजट का प्रावधान भी किया गया है।

मार्गदर्शन व मार्गदिष्टि :– विद्यार्थियों को विषय की समझ और कौशल निर्माण के लिए जिला स्तर पर मेटर्स गुरु बनाया जाएगा। वहीं प्रबल

कार्यक्रम प्रभारी की नियुक्ति और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी डाइट को सौंपी गई है। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवाल की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल में बैठक आयोजित हुई जिसमें अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।

डॉ.ओमप्रभा, उपायुक्त, समग्र शिक्षा का कहना है कि राजस्थान युवा सभा एक सौच है, जिससे राजकीय विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति कौशल का विकास और प्रतियोगिता की भावना जागृत होगी। यह शिक्षा विभाग की एक अग्रिम एवं अगुई पहल है।

राजेश यादव, सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), शिक्षा विभाग।

बाघों के स्वागत को बेताब हैं कालदां के जंगल, घास के मैदान तैयार हुए

बूंदी, (निर्सं)। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ने के साथ ही कोर के साथ ही अब बफर जंगलों में भी बाघों के अनुकूल बनाने के कामों का असर दिखने लगा है। वन विभाग ने दो साल पहले इस क्षेत्र में जुलिफ्लोरा को हटाकर ग्रासलैंड विकसित करने का काम शुरू किया था। वन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों को कम कर इन्हें वन्यजीवों के लिए अच्छे आश्रय स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। रिजर्व में वन्यजीवों से समृद्ध व जैव विविधता के लिहाज से महत्वपूर्ण दुर्गम कालदां वन क्षेत्र में कलदां माताजी के निकट 300 बीघा वन भूमि पर विलायती बम्बूल हटाकर लिस्वी पाक्षर पंडित से घास के मैदान व प्लांटेशन का काम हाथ में लिया था। दो साल बाद

घास के मैदानों में घास तैयार हो गई है तथा शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। शीघ्र ही यहां नए ट्रेकिंग रूट बनाने व अन्य इलाकों में नए ग्रासलैंड विकसित करने की योजना है। वन विभाग की नियमित गस्त व जिला कलेक्टर द्वारा सम्पूर्ण टाइगर रिजर्व क्षेत्र में धारा 163 लगाने से इस वर्ष वन क्षेत्रों में पशुजालकों के प्रवेश व बाढ़े बनाने पर रोक लगी है। जिससे यह इलाका बाघों के स्वागत के लिए तैयार होने लगा है। एक महिने पहले शॉर्ट एक्कोलर से खुले जंगल में छोड़ी गई युवा बाधिन आरवीटी 8 का रुख कलदां की तरफ है तथा यह कभी भी इन जंगलों में प्रवेश कर सकती है।

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के देवश्र महादेव से भीमलत तक के बफर

जोन में परम्परागत जलस्रोतों पर 12 माह पानी की उपलब्धता मूक ग्रणियों के जीवन का आधार बने हुए है। करीब तीन सौ वर्ग किलोमीटर के इन दुर्गम पहाड़ी जंगलों में डेढ़ दर्जन से अधिक स्थानों पर भीषण गर्मी में भी कल-कल पानी बहता रहता है। साल भर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जल उपलब्धता के चलते मूक ग्रणियों के लिए एंटी के जंगल सदियों से प्रमुख आश्रय-स्थल बने हुए हैं। इनमें से कई प्राकृतिक जल-स्रोत तो पहाड़ी की चोटियों पर हैं जिनमें कन्या महादेव में भी जल प्रवाह बना रहता है। जल उपलब्धता के कारण जिले में भालू, पेंथर सहित अन्य वन्यजीवों का कुनबा बढ़ा है तथा इलाका फिर से बाघों से आबाद होने लगा है।

जिले के सुदूर दुर्गम पहाड़ी इलाकों में गर्मियों में भी जल उपलब्धता वाले जल स्रोतजैव-विविधता के वाहक होने के साथ-साथ वन्यजीवों के प्रमुख आश्रय स्थली भी सिद्ध हुए हैं। इनमें पहाड़ी चोटी पर स्थित कालदां माताजी का स्थान प्रमुख है, जहां भीषण अकाल में भी पानी का एक बड़ा धरा भर रहता है तथा प्राकृतिक रूप से यहां चट्टानों से पानी निकलता है। इसी कारण इसका नाम कालदह पड़ा जो अब कालदां वन खण्ड के रूप में जाना जाता है। इसी पहाड़ी में नमथुणा के निकट कन्या महादेव, सधूर के निकट देवश्र महादेव, आम्बा वाला नाला, डाढ़दा के पास दुर्वासा महादेव, पापा का देवनारायण, नारायणपुर के पास धूंधला महादेव, खीन्था-बसोली के पास आम्बाहोह, भीमलत महादेव, नीम का खेड़ा के पास

झरोली माताजी, खेरूणा के नीलकंठ महादेव आदि स्थान सदबहार जलयुक्त होने के कारण सधियों से बाघों के पसंदीदा स्थान रहे हैं। इसी प्रकार भीलवाड़ा जिले के बांका वनाखंड के सीता कुंड व भाला कुई जैसे महत्वपूर्ण स्थल ही टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बाघों के प्रमुख आश्रय स्थल सिद्ध होंगे। पुष्पी सिंह राजावत,पूर्व मानद वन्यजीव प्रतिपालक,बूंदी के अनुसार जिले के सुदूर दुर्गम पहाड़ी इलाकों में गर्मियों में भी जल उपलब्धता वाले जल स्रोतजैव-विविधता के वाहक होने के साथ-साथ वन्यजीवों के प्रमुख आश्रयस्थली भी सिद्ध हुए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण स्थल ही आने वाले समय में टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बाघों के प्रमुख आश्रय स्थल सिद्ध होंगे।

वृष

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संभावित खोत से घन प्राप्त होगा। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

वृश्चिक

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। नौकरपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रमुख बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आज नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं रहेगा। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

कर्क

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। मन:स्थिति ठीक रहेगी। आवश्यक कार्य योजानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक बातों सफल रहेगी।

मकर

परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते होंगे। परिवार में अपनी सेवायों-समन्वय बना रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

सिंह

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

कुंभ

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे।

कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। नौकरपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रमुख बढ़ेगा।

मीन

परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण आवश्यक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।